

भारत के धार्मिक स्थल

1. यह हमारे लिए । बड़े गर्व की बात है । कि हमारे भारत में । अनेक धर्म । अनेक सम्प्रदाय के लोग रहते हैं । भारत में । हिन्दू । मुसलिम । सिख । इसाई । आदि । कई धर्मों के लोग निवास करते हैं ।
2. हमारे भारत में । सभी धर्मों के धार्मिक स्थल हैं ।
3. भारतीय नागरिक को । किसी भी धर्म सम्प्रदाय में । आस्था रखने की आजादी है ।
4. भारतीय संविधान में । सभी धार्मिक स्थलों को । समान सम्मान अधिकार दिये गये हैं ।
5. धार्मिक स्थलों में । कितना भी धन । दान करने की आजादी है । जो हमारे लिए गर्व की बात है

समस्या धार्मिक स्थलों में चोरी

1. सभी धार्मिक स्थलों में । चोरी की आम बात है ।
2. कभी धार्मिक स्थलों के मूर्तियों के । गहने चोरी हो जाते हैं ।
3. कभी दान पेटी से । चोरी हो जाती है ।
4. कभी मूर्तियों की । चोरी हो जाती है ।
5. कभी धार्मिक स्थलों का । साजो सामान । चोरी हो जाता है ।
6. जनता द्वारा दिये गये दान धन पर । चोर हाँथ साफ कर देते हैं । इसे रोकना होगा ।

डी कार्ड यानि दान कार्ड का प्रारूप

1. रुपया नोट का चलन बन्द होकर । रुपया नोट की जगह डी कार्ड । यानी दान कार्ड का चलन होगा ।
2. डी कार्ड । एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा । जो आसानी से जेब रखा जा सके ।
3. डी कार्ड में । ज्यादा मेमोरी डेटा होगा । शुरूवात कम से कम 100 जी बी से होगी । जरूरत पड़ने पर और बढ़ाई जायेगी ।
4. डी कार्ड में । वर्ष । महीना । दिन । घन्टा । मिनट । सेकेन्ड । अनवरत चालू रहेंगे ।
5. डी कार्ड में । कैमरा होगा । जो किसी वस्तु के खरीदी के समय । जरूरत पड़ने पर । फोटो ली जा सके ।
6. डी कार्ड । इंटरनेट द्वारा । संचालित होगा ।
7. हर डी कार्ड का । अलग अलग नं होगा । जैसा मोबाइल का होता है ।
8. हर डी कार्ड में । डी कार्ड धारक का फोटो । डिस्प्ले पर रहेगा ।
9. डी कार्ड । क्षेत्र के अनुसार । अलग अलग भाषाओं में होंगे ।

10. डी कार्ड मे । जमा हुई कोई भी जानकारी । अमिट होगी । उसे मिटाया नहीं जा सकता । उसमे डिलीट । य इरेजर का कोई बटन नहीं होगा । डी कार्ड नस्ट होने पर भी । इंटरनेट पर । सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी ।
11. जो भारत सरकार के । अधिकार मे होगा । सरकार से आग्रह करके । दूसरा डी कार्ड । बनाया जा सकता है ।
12. डी कार्ड मे । मोबाइल जैसा डिस्प्ले होगा । और मोबाइल जैसे बटन होंगे । जिसमे व्यक्ति अपनी जमा धनराशी । चेक कर सकता है । अपनी पुरानी अन्य जानकारीया पढ सकता है । संदेश भेज सकता है। संदेश पढ सकता है ।
13. डी कार्ड मे । सिर्फ + धन का बटन होगा । - माइनस का बटन नहीं होगा ।
14. डी कार्ड । बिना धन देने की वजह बताये । सिर्फ धन अंक अंकित नहीं करेगा ।
15. व्यक्ति के । सभी कार्डों मे । सभी कार्डों के नं । व मोबाइल नं । अंकित होना अनिवार्य है ।
16. ताकि व्यक्ति के कार्डों के । गुम हो जाने पर । आसानी से मिल सके ।

धार्मिक स्थलों के डी कार्ड की विशेषताएं

1. भारत के सभी धार्मिक स्थलों मे । एक डी कार्ड । यानि दान कार्ड होगा ।
2. भारत के सभी धार्मिक स्थलों मे । एक डी कार्ड के । कई डी सम कार्ड । बनाये जा सकते हैं ।
3. भारत के सभी धार्मिक स्थलों मे । डी कार्ड मे ही । जनता व्दारा दिया गया । दान धन । जमा होगा ।
4. भारत के किसी भी धार्मिक स्थलों मे । दान पेटी बाक्स नहीं होगा । दान पेटी बाक्स की जगह । डी कार्ड नं होगा । जिसमे दान कर्ता । अपने किसी भी कार्ड से । धार्मिक स्थल के डी कार्ड मे । दान करेगा ।
5. भारत के सभी धार्मिक स्थलों मे । डी कार्ड से ही । धार्मिक स्थलों के सभी कर्मचारियों को । वेतन । कर्मचारियों के पी कार्ड मे । दिया जायेगा ।
6. भारत के सभी धार्मिक स्थलों मे । डी कार्ड से ही । धार्मिक स्थल के । सभी रख रखाव के काम । किये जायेंगे ।
7. भारत के सभी धार्मिक स्थलों मे । डी कार्ड से ही । जन समस्यायों के । निवारण का काम । किया जायेगा ।
8. भारत के सभी धार्मिक स्थलों मे । डी कार्ड से ही । डी सम कार्ड । बनाये जा सकते हैं ।
9. भारत के सभी धार्मिक स्थलों के । डी सम कार्ड । जरूरत के समय । डी कार्ड का ही । काम करेंगे ।

10. भारत के सभी धार्मिक स्थलों में डी कार्ड से ही धार्मिक स्थल के सभी समस्याओं के निवारण का काम किया जायेगा।
11. भारत के सभी धार्मिक स्थलों में डी कार्ड से ही राष्ट्रीय पर्व य अन्य स्वागत समारोह य अन्य किसी भी उत्सव पर खर्च किये जायेंगे।
12. भारत के सभी धार्मिक स्थलों के डी कार्ड की पूरी जानकारी इंटरनेट में होगी।
13. भारत के सभी धार्मिक स्थलों के डी कार्ड में खर्च की पूरी जानकारी विस्तार के साथ अंकित होगी।
14. भारत के सभी धार्मिक स्थलों के डी कार्ड में जनता द्वारा दिया गया दान धन विस्तार के साथ अंकित होगा।
15. भारत के सभी धार्मिक स्थलों के डी कार्ड में धार्मिक स्थलों के मूर्तियों के गहने कपड़े और धार्मिक स्थल का साजो सामान सभी डी कार्ड में अंकित होंगे।
16. भारत के किसी भी कार्ड से धार्मिक स्थलों के डी कार्ड में कितना भी दान दिया जा सकता है इसमें कोई रोक टोक नहीं है।
17. दान सिर्फ डी कार्ड में ही दिया जा सकता है किसी अन्य कार्ड में नहीं।
18. डी कार्ड धारक किसी भी धार्मिक स्थल में दान कर सकता है।
19. डी कार्ड धारक किसी भी मरीज के दवाई य इलाज पर खर्चा कर सकता है।

भारत का धन

1. भारत का धन किसी भी कार्ड से लेन देन भारत की सीमा के अंदर भारतीय नागरिक से भारत के किसी भी कार्ड से ही लेन देन किया जा सकता है।
2. भारत का धन को भारत के बाहर विदेश के किसी भी कार्ड से लेन देन नहीं किया जा सकता है।
3. भारत का धन किसी भी कार्ड से धन भारत के सीमा के बाहर नहीं भेजा जा सकता।
4. भारत का धन किसी भी कार्ड से धन भारत के सीमा के बाहर विदेश के किसी भी बैंक में नहीं जमा किया जा सकता।
5. भारत का धन भारत की सीमा के बाहर धन भेजने के लिए किसी भी कार्ड अंकित वैध धन को भारत के विदेश मंत्रालय में जमा करके उस देश में चलित नोट रूपया ही भेजे जा सकते हैं।

विदेश का धन

1. विदेश का धन भारत की सीमा के बाहर का धन भारत लाने के लिए धन को भारत के विदेश मंत्रालय में जमा करके धन को किसी भी कार्ड में अंकित कराना होगा।

2. विदेश का धन । भारत के सीमा के बाहर के । किसी भी बैंक का धन । सीधे सीधे । भारत के किसी भी कार्ड मे । अंकित । जमा नहीं होगा ।
3. विदेश का धन । भारत के सीमा के बाहर के । विदेश के । किसी भी बैंक से । धन । भारत लाने के लिए । धन को । भारत के विदेश मंत्रालय मे जमा करके । धन को । किसी भी । कार्ड मे अंकित । जमा कराना होगा ।

डी कार्ड धारक को बी कार्ड से दुकान

1. बी कार्ड धारक भारत के प्रत्येक । सरकारी नौकरी रहित । प्राईवेट नौकरी रहित । और खेती जमीन रहित । जरूरत मंद नागरिक को । सरकारी मदद 300 स्क्वायर फिट य इससे कम की की 1 दुकान मिलेगी । जिस पर बी कार्ड धारक का । आजीवन अधिकार होगा ।
2. सरकारी मदद भूमि । 300 स्क्वायर फिट य इससे कम की दुकान का । बी कार्ड धारक नागरिक को । कोई भाडा । कोई किराया । य कोई कीमत नहीं देना होगा । भारत सरकार को ।
3. बी कार्ड धारक भारतीय नागरिक । उस दुकान पर कोई भी । व्यापार करके । अपनी जीविका चला सकता है ।
4. बी कार्ड धारक भारतीय नागरिक को । सरकारी मदद भूमि । 300 स्क्वायर फिट य इससे कम की । 1 ही दुकान मिलेगी ।

डी कार्ड धारक को बी कार्ड से अधिक जमीन

1. बी कार्ड धारक भारतीय नागरिक को । अधिक जमीन उपयोग करने के लिए । भारत सरकार नगर पालिका से । सरकारी मदद अधिक जमीन मिलेगी ।
2. उस अधिक जमीन का । बी कार्ड धारक भारतीय नागरिक को । 1 रु स्क्वायर फिट के हिसाब से हर महीने । बी कार्ड से । अधिक जमीन का किराया ।
3. भारत सरकार नगर पालिका के । एन कार्ड मे जमा करना होगा ।

अधिक जमीन का निर्माण कार्य व खर्चा

1. अधिक जमीन को । बी कार्ड धारक । आजीवन के लिए ले सकता है । 1 रु स्क्वायर फिट के हिसाब से हर महीने । बी कार्ड से । अधिक जमीन का किराया देकर ।
2. अधिक जमीन का निर्माण कार्य । व मरम्मत खर्चा । बी कार्ड धारक । स्वयं करवायेगा ।
3. भारत सरकार का अधिक जमीन के । निर्माण कार्य । व मरम्मत खर्चा मे । कोई योगदान नहीं होगा ।

डी कार्ड धारक व्यक्ति को बैंक का कर्जा

1. डी कार्ड धारक को । यदि धन की आवश्यकता है । तो बैंक नियमानुसार । बैंक 24 घण्टे धन ले सकता है ।

2. व्यक्ति । बैंक का कर्जा ब्याज के साथ । बैंक के एकाउन्ट मे । डी कार्ड व्दारा वापस करेगा ।
3. व्यक्ति सिर्फ बैंक से ही धन ले सकता है । किसी भी व्यक्ति से धन नही ले सकता ।
4. डी कार्ड आने से । नगद धन । हांथ से हांथ धन देने की । सुविधा बन्द हो जाएगी ।
5. डी कार्ड धारक । धार्मिक स्थल का संचालक । अपने खुद के पी कार्ड अंकित वाहन । धार्मिक स्थल काम के उपयोग मे ला सकते हैं । जिसके आयल । डीजल । का खर्चा धार्मिक स्थल के डी कार्ड से मिलेगा ।

धार्मिक स्थलों के डी कार्ड से जन कल्याण य देश हित

1. भारत के सभी धार्मिक स्थलों के डी कार्ड मे । जरूरत से अधिक धन जमा होने पर । संस्थापक य व्यवस्थापक । उस धन को जन कल्याण । य देश हित । मे खर्चा कर सकते हैं ।
2. भारत के सभी धार्मिक स्थलों के डी कार्ड मे । जनता व्दारा दिया गया दान धन व्दारा । संस्थापक य व्यवस्थापक । आम लडकियों की शादी का । समारोह आयोजित कर सकता है ।
3. भारत के सभी धार्मिक स्थलों के डी कार्ड मे । जनता व्दारा दिया गया दान धन व्दारा । संस्थापक य व्यवस्थापक । आम जनता को खाना खिला सकता है ।
4. भारत के सभी धार्मिक स्थलों के डी कार्ड मे । जनता व्दारा दिया गया दान धन व्दारा । संस्थापक य व्यवस्थापक । भूकंप । बाढ । सुनामी । जैसी य अन्य आपदाओं । पर खर्चा कर सकता है ।
5. भारत के सभी धार्मिक स्थलों के डी कार्ड मे । जनता व्दारा दिया गया दान धन व्दारा । संस्थापक य व्यवस्थापक । किसी भी धार्मिक कार्य का आयोजन कर सकता है ।

डी कार्ड से दान देने के नियम

1. दान कर्ता । य मदद कर्ता । अपने किसी भी कार्ड से । दान य मदद धन । मरीज ब्यक्ति के पी कार्ड मे ही । हस्तान्तरण ट्रान्सफर कर सकता है । मरीज ब्यक्ति अपने पी कार्ड से । डॉक्टर के यू कार्ड मे । मरीज सेवा धन । य दवाइयों का खर्चा । आदि हस्तान्तरण ट्रान्सफर कर सकता है ।
2. दान कर्ता । य मदद कर्ता । अपने किसी भी कार्ड से । सीधे सीधे डॉक्टर के यू कार्ड मे । मरीज सेवा धन । य दवाइयों का खर्चा आदि । नही जमा कर सकता ।
3. दान कर्ता । य मदद कर्ता । जरूरत मंद ब्यक्ति के सिर्फ पी कार्ड मे ही । मदद धन । हस्तान्तरण ट्रान्सफर कर सकता है । किसी अन्य भी कार्ड मे नही । हस्तान्तरण ट्रान्सफर कर सकता है ।

डी कार्ड से लेन देन के नियम

सिस्टम चेन्ज

1. लेन देन के नियम -- उदाहरण -- माना कि । सुरेश का कार्ड नं । 12345 है । और अली का कार्ड नं । 67890 है । अली । सुरेश को 1000 रूपया देना चाहता है । तो अली । अपने कार्ड मे । सुरेश का कार्ड नं । 12345 + 1000 रु + धन देने की वजह । अंकित करेगा । फिर ओके करेगा । तो अली के कार्ड से । सुरेश के कार्ड में । 1000 रु जमा हो जायेंगे ।
1. लेकिन अली । सुरेश के कार्ड से । रु - माइनस । नहीं कर सकता । क्योंकि डी कार्ड मे । - माइनस का बटन । होगा ही नहीं ।
2. कोई भी नागरिक अपनी इच्छा से । दूसरे के कार्ड से । धन नहीं ले सकता । जब सामने वाला देगा । तभी मिलेगा ।
3. डी कार्ड से सिर्फ । धन दिया जा सकता है । धन मंगाया नहीं जा सकता ।

डी कार्ड का धन जमा बाक्स

1. डी कार्ड मे धन जमा बाक्स होगा ।
2. डी कार्ड के धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा करके । अपना पर्सनल कोड नं डालकर । लाक कर देने से । बिना अपना पर्सनल कोड नं डाले । धन जमा बाक्स नहीं खुलेगा ।
3. डी कार्ड के धन जमा बाक्स मे । अपना पर्सनल कोड नं डालकर लाक कर देने के बाद भी । धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा किया जा सकता है । जो डी कार्ड मे प्रदर्शित होगा ।
4. डी कार्ड के धन जमा बाक्स मे । अपना पर्सनल कोड नं डालकर लाक कर देने के बाद ।
5. कोई दूसरा व्यक्ति । डी कार्ड के धन जमा बाक्स को खोल कर । धन नहीं ले सकता ।
6. डी कार्ड मे जमा किया हुआ धन । सिर्फ धन जमा बाक्स मे ही जमा होगा । खर्चा बाक्स मे जमा नहीं होगा ।

डी कार्ड का खर्चा बाक्स

1. डी कार्ड मे । खर्चा बाक्स होगा ।
2. डी कार्ड के खर्चा बाक्स मे । यदि 100 रु रखा गया है । तो डी कार्ड के खर्चा बाक्स से 100 रु से अधिक खर्चा नहीं होगा । भले ही डी कार्ड के धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा हो
3. यदि डी कार्ड किसी अन्य ब्यक्ति के हाथ मे । 100 रु खर्चा करने के लिए दिया गया हो । तब डी कार्ड उपयोगी ब्यक्ति । डी कार्ड के धन जमा बाक्स से । जमा धन की जानकारी भी नहीं ले सकता ।

उदाहरण

1. माना कि सुरेश बाजार जाने मे असमर्थ है । वह रमेश से 100 रु के फल मंगाना चाहता है ।
2. तो सुरेश अपने डी कार्ड के खर्चा बाक्स मे । 100 रु जमा करके डी कार्ड । रमेश को देगा । 100 रु के फल लाने के लिए ।

3. तब रमेश बाजार मे । सुरेश के डी कार्ड के खर्चा बाक्स से । सिर्फ 100 रु ही खर्चा कर सकता है । भले ही डी कार्ड के धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा हो ।
4. और सुरेश के डी कार्ड के धन जमा बाक्स का धन सुरक्षित भी रहेगा ।

डी कार्ड नकल सम कार्ड

1. डी कार्ड का नकल सम कार्ड बनेगा ।
2. डी कार्ड का नकल सम कार्ड । व्यक्ति के मदद के लिए उपयुक्त होगा ।

डी कार्ड के नकल सम कार्ड का धन जमा बाक्स

1. डी कार्ड के । नकल सम कार्ड मे । धन जमा बाक्स होगा 1 ।
2. डी कार्ड के । नकल सम कार्ड के । धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा करके । अपना पर्सनल कोड नं डालकर लाक कर देने से । बिना अपना पर्सनल कोड नं डाले । डी कार्ड के । नकल सम कार्ड का । धन जमा बाक्स नही खुलेगा ।
3. डी कार्ड के । नकल सम कार्ड के । धन जमा बाक्स मे । अपना पर्सनल कोड नं डालकर लाक कर देने के बाद भी । डी कार्ड के । नकल सम कार्ड के । धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा किया जा सकता है । जो डी कार्ड । और नकल सम कार्ड मे । प्रदर्शित होगा ।
4. डी कार्ड । य नकल सम कार्ड । के धन जमा बाक्स मे । अपना पर्सनल कोड नं डालकर लाक कर देने के बाद । कोई दूसरा व्यक्ति । डी कार्ड । य नकल सम कार्ड । के धन जमा बाक्स को खोल कर । धन नही ले सकता ।
5. डी कार्ड के । नकल सम कार्ड मे । जमा किया हुआ धन । सिर्फ धन जमा बाक्स मे ही जमा होगा । खर्चा बाक्स मे जमा नही होगा ।

डी कार्ड के नकल सम का कार्ड खर्चा बाक्स

1. डी कार्ड के । नकल सम कार्ड मे । 1 खर्चा बाक्स होगा ।
2. डी कार्ड के । नकल सम कार्ड के खर्चा बाक्स मे । यदि 100 रु रखा गया है । तो नकल सम कार्ड से । 100 रु से अधिक खर्चा नही होगा । भले ही नकल सम कार्ड के । धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा हो ।
3. और नकल सम कार्ड उपयोगी । नकल सम कार्ड के । धन जमा बाक्स से । जमा धन की जानकारी भी नही ले सकता है ।

उदाहरण

1. माना कि सुरेश बाजार जाने मे असमर्थ है । वह रमेश से 100 रु के फल मंगाना चाहता है ।

2. तो सुरेश । अपने डी कार्ड के । नकल सम कार्ड के खर्चा बाक्स मे । 100 रु जमा करके नकल सम कार्ड रमेश को देगा । 100 रु के फल लाने के लिए ।
3. तब रमेश बाजार मे । सुरेश के नकल सम कार्ड के खर्चा बाक्स से । सिर्फ 100 रु ही खर्चा कर सकता है । भले ही नकल सम कार्ड के धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा हो ।
4. यदि रमेश को । बाजार अधिक धन की जरूरत है । तो जब सुरेश अपने डी कार्ड से । अपने डी सम कार्ड के खर्चा बाक्स मे । धन जमा करेगा । तभी रमेश । सुरेश के सम कार्ड के खर्चा बाक्स से । अधिक धन खर्चा कर सकता है । यह प्रक्रिया कभी भी की जा सकती है ।
5. तब बाजार जाने मे असमर्थ सुरेश । अपने डी कार्ड के नकल सम कार्ड के खर्चा बाक्स मे 100 रु जमा करके । रमेश से 100 रु के फल मंगा सकता है ।
6. और सुरेश के । डी कार्ड के धन जमा बाक्स का धन । सुरक्षित भी रहेगा ।

डी कार्ड धारक की सेवा निवृत्ती

1. डी कार्ड धारक की । 60 वर्ष उपरान्त सेवा निवृत्ती होगी ।

डी कार्ड धारक का बाँकी बैंक कर्जा

1. डी कार्ड धारक किसी का । यदि बैंक का कर्जा बाकी है । तो प्रथम बैंक का कर्जा । ब्याज के साथ वापस किया जायेगा ।

डी कार्ड धारक के मृत्यु पश्चात

1. डी कार्ड धारक के । मृत्यु पश्चात । डी कार्ड मे अंकित । जेवर । नग पर । भारत सरकार का अधिकार होगा । और पेंशन बंद हो जायेगी ।
2. डी कार्ड धारक के । मृत्यु पश्चात । डी कार्ड अंकित धार्मिक सस्थान को । पूर्व नियमित रखने के लिए । उसी डी कार्ड पर नाम बदलकर । किसी योग्य व्यक्ति को धार्मिक सस्थान चलाने के लिए । दे दिया जायेगा ।
3. य फिर अन्यथा डी कार्ड की सारी सम्पत्ती पर । भारत सरकार का अधिकार होगा ।
4. और डी कार्ड बन्द हो जायेगा ।
5. इस तरह डी कार्ड धारक । कोई भी वर्ष के बाद का जीवन । आराम से । सुख पूर्वक । ऐश 60 करते हुए गुजारेगा ।

डी कार्ड से । धार्मिक स्थलों को । चोरी की घटनाओं से निजात मिलेगी

जय विश्व अग्रणी भारत की